राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्रा) शिमला–171005 के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्थान के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त निर्णीत एवं अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1991

1	पैरा संख्या 4	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	
6	पैरा संख्या 16(1 से 5)	अनिर्णीत	
7	पैरा संख्या 17(4)	अनिर्णीत	
8	पैरा संख्या 18	अनिर्णीत	
9	पैरा संख्या 19(5)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1994

1	पैरा संख्या 5(1) तथा (2)	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 6(1)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2001

1	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
6	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	
7	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत	
8	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	

9	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत	
10	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा संख्या 4(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा संख्या 7	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
2	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2009

1	पैरा संख्या 4(ग)	आंशिक निर्णीत	(रोकड़ वही का रख–रखाव भी अंकेक्षण के सुझावानुसार सुनिश्चित किया जाए)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत	(अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण शुल्क की ₹3000 को चैक संख्या 8302267, दिनांक 3.2.2012 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
3	पैरा संख्या 5	निर्णीत	(सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड ब्याज की राशि रसीद संख्या 392, दिनांक 9.10.2015, रसीद संख्या 390, दिनांक 9.10.2015 व रसीद संख्या 391, दिनांक 9.10.2015 द्वारा क्रमशः ₹100, ₹300 व ₹150 (कुल ₹550) की वसूली के उपरान्त)
4	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत	
6	पैरा संख्या 8	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त निर्णीत)
7	पैरा संख्या 9(क)(ख)(ग)	निर्णीत	(अग्रिम ₹31000, ₹40000 व 62500 के समायोजन वाउचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित करने के उपरान्त)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्रा), शिमला–5 अवधि 4/2011 से 3/2015 के निधि लेखों का अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 12.10.2015 से

20.10.2015 तथा दिनांक 28.10.2015 से 29.10.2015 के दौरान किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए 7/2012, 7/2013, 7/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 7/2011, 5/2012, 4/2013, 11/2014 चयनित किए गए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान में प्रधानाचार्य व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री एमएल शर्मा, प्रधानाचार्य	15.2.2008 से 20.3.2012
2	श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य	20.3.2012 से लगातार

यहां भी यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तदायी नहीं है।

3 लेखा परीक्षा शुल्क

संस्थान के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4, दिनांक 29.10.2015 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि चैक संख्याः 865592, दिनांक 2.11.2015 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्रा) शिमला–5 द्वारा प्रस्तुत संस्थान की लेखावधि 4/2011 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर भी संलग्न है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	1929056.97	370129	57366	2356551.97	1328839	1027712.97
2012–13	1027712.97	354785	39298	1421795.97	139601	1282194.97
2013–14	1282194.97	359292	36662	1678148.97	281617	1396531.97
2014–15	1396531.97	437299	104010	1937840.97	475805	1462035.97

दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष का विवरण

(i) रोकड़ वही अनुसार दिनांक 31.3.2015 का अन्तशेष	**₹984103.97**
(ii) सावधि जमा योजना में दिनांक 31.3.2015 को निवेशित राशि	**₹477932.00**
कुल	**₹1462035.97**

रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2015 को ₹984103.97 जमा थी, जबकि बैंक में ₹987008.97 जमा थी। इस प्रकार रोकड़ वही व बैंक में जमा राशि में ₹2905 का अन्तर पाया गया। अन्तर के कारण की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 25.2.2015 को ₹2905 का चैक संख्या 865553 जारी किया गया, जिसे 31.3.2015 तक भुनाया नहीं गया था।

5 सावधि जमा/निवेश

संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निधियों से सावधि जमा में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है। निवेश की गई इन राशियों को रोकड़ वही में प्रत्येक मास के अन्त में नहीं दर्शाया जा रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सावधि जमा योजना में निवेशित समस्त राशि का पूर्ण विवरण रोकड़ वही के प्रत्येक मास के अन्त में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि "छात्र कल्याण निधि" में जमा राशियों का कुल शेष प्रथम दृष्टि में ज्ञात हो सके। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में भी कोई आधिक्य/अनुपयुक्त राशि निधि खातों में हो तो उसे भी "छात्र कल्याण निधि के नियम–2009" के नियम 4(बी) के दृष्टिगत उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाए, ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके, जिससे छात्रों की विभिनन गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

6 सावधि जमा में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा दिनांक 25.9.2012 को ₹100000 व ₹300000 को रोकड़ वही के शेष से घटा कर दो वर्षों के लिए सावधि जमा में निवेशित किया गया दर्शाया गया था। इस निवेश पर दिनांक 25.9.2014 को क्रमशः ₹19483 व ₹58449=₹77932 ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, जिनका विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है, परन्तु ब्याज की इन राशियों का रोकड़ वही में लेखांकन नहीं किया गया था, अपितु इनको मूल राशि सहित दिनांक 25.9.2014 को ही पुनः सावधि जमा योजना में निवेश किया था। इस प्रकार अर्जित ब्याज की राशि को रोकड़ में दर्ज न करना अनियमित ही नहीं, अपितु लेखांकन सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है। अतः उपरोक्त ब्याज राशियों को रोकड़ वही में आय पक्ष में लेखांकित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अर्जित ब्याज की आय को भी रोकड़ वही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में ₹70048 की ब्याज की आय में वंचित रहना

संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–"ख"** पर वर्णित सावधि जमा में निवेशित राशियों के अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 2.6.2011 को ₹800000 को 9.25% की दर से एक वर्ष के लिए सावधि

जमा में निवेशित किया गया था, जिसकी परिपक्वता पर दिनांक 2.6.2012 को (मूल ₹800000 +ब्याज की ₹76607=₹876607) प्राप्त होनी थी, परन्तु उक्त सावधि जमा निवेश को लगभग दो माह के भीतर ही दिनांक 29.7.2011 को परिपक्वता तिथि से पूर्व ही भुना लिया गया, जिसके कारण संस्थान को (मूल ₹800000 ब्याज +₹6559=₹806559 ही प्राप्त हुई। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौपाल को ₹1072840 का ऋण प्रदान करने हेतु उपरोक्त सावधि निवेश को परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाया गया। इस प्रकार उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में संस्थान को (₹76607–₹6559=₹70048) की ब्याज के रूप में हानि हुई। अतः ₹70048 की ब्याज की हानि बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

8 निधियों की ₹28275 की अनियमित वसूली करना

"छात्र कल्याण निधि नियम–2009" के अनुसार संस्थान की छात्राओं से विभिन्न निधियों की की वसूली की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 की विवरणिकाओं (Prospectus) के पैरे 4.1(च) के नीचे दिए गए नोट–3 के अनुसार कारपेंटर तथा स्टेनोग्राफी (हिन्दी) के व्यवसायों के लिए शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fees and other charges) के रूप में आधी राशि (50%) ही ली जानी थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान "निधि संग्रह रजिस्टर" के अवलोकन पर पाया गया कि संस्थान द्वारा वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान स्टेनोग्राफी (हिन्दी) की छात्राओं को निम्न शुल्क/निधियों की वसूली में 50% की छूट नहीं दी गई। परिणामस्वरूप इन छात्राओं से ₹28275 की अधिक वसूली की गई, जोकि अनियमित है। अतः इन अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित वसूली को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए तथा भविष्य में छात्राओं से शुल्कों/निधियों की वसूली नियमानुसार ही की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त प्रवेश शुल्क की यह राशि सरकारी रसीद टी0आर0–5 द्वारा प्राप्त की गई, जिसे "निधि संग्रह रजिस्टर" में दर्ज न करके विभिन्न चालानों के माध्यम से सीधे कोष/बैंक में जमा करवाया गया था।

वर्ष	छात्राओं की सं0	शुल्क/निधि का नाम	संग्रह रजिस्टर पृष्ठ	वसूली की दिनांक	दर वार्षिक प्रति छात्र	50% की दर से वसूली योग्य राशि	वास्तविक वसूली	अधिक वसूली
2011–12	21	संस्थान प्रतिभूति निधि	149 से	15.7.11 से	500	250	250	5250 (250x21)
	21	पहचान पत्र निधि	152	19.8.11	50	25	25	525 (25x21)
	21	प्रवेश शुल्क	–	–	100	50	50	1050 (50x21)

2012–13	21	संस्थान प्रतिभूति निधि	162 से	16.7.12 से	500	250	250	5250 (250x21)
	21	पहचान पत्र निधि	168	8.8.12	50	25	25	525 (25x21)
	21	प्रवेश शुल्क	–	–	100	50	50	1050 (50x21)
2013–14	21	संस्थान प्रतिभूति निधि	177 से	18.7.13 से	500	250	250	5250 (250x21)
	21	पहचान पत्र निधि	181	19.7.13	50	25	25	525 (20x21)
	21	प्रवेश शुल्क	–	–	100	50	50	1050 (50x21)
	24	संस्थान प्रतिभूति निधि	194 से 196	15.7.14	500	250	250	6000 (250x24)
2014–15	24	पहचान पत्र निधि			50	25	25	600 (25x24)
	24	प्रवेश शुल्क	–	–	100	50	50	1200 (50x24)
							कुल	**₹28275**

9 मानदेय के रूप में भुगतान की गई ₹346500 को वापिस प्राप्त न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अस्थाई तौर पर नियुक्त अनुदेशक/अध्यापक/लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को ₹346500 के मानदेय/वेतन का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर दिया गया है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त मानदेय की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) निदेशक (तकनीकी शिक्षा) के माध्यम से सरकारी बजट के मुख्य शीर्ष : 2230–03–003–05–सून–गैर–योजना एस0ओ0ई0 99–मानदेय मांग संख्या 27 के अन्तर्गत की जाती है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त भुगतान किए गए सम्पूर्ण मानदेय की सरकारी बजट से प्रतिपूर्ति होना अपेक्षित है अथवा इसका एक निश्चित भाग ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2015 तक कोई भी राशि उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त किए जाएं, ताकि नियमानुसार भुगतान किए गए मानदेय/वेतन की राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

10 आई0टी0आई0 चौपाल को निक्षेप कार्य (Deposit work) हेतु ₹1072840 दिए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा सहायक अभियन्ता हि0प्र0 राज्य बिजली बोर्ड उप–मण्डल चौपाल को, आई0टी0आई0 चौपाल के भवन में इलैक्ट्रिकल के0वी0/एल0टी0 लाइन के वर्क का निक्षेप कार्य (Deposit work) करवाने हेतु दिनांक 30.7.2011 को ₹1072840 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"घ"** पर दिया गया है। चूंकि उस समय आई0टी0आई0 चौपाल का नियन्त्रण आई0टी0आई शिमला के अधीन था, इसलिए उक्त राशि आई0टी0आई (छात्र), शिमला की "छात्र निधि" से उक्त एजेंसी के कार्यालय में जमा करवाई गई। अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं था कि उपरोक्त कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, जबकि लगभग चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी आई0टी0आई0 (छात्रा), शिमला द्वारा उक्त एजेंसी से निक्षेप कार्य के पूर्ण होने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने बारे तथा अपेक्षित "अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः यह मामला उक्त एजेंसी से तुरन्त उठाया जाए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि उपरोक्त कार्य का निष्पादन निर्धारित समय में पूर्ण हुआ है अथवा नहीं तथा तदानुसार "अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र" को भी शेष राशि सहित, यदि कोई हो, प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 ऋण की ₹100000 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौपाल जिसने दिनांक 10.10.2011 को स्वतन्त्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, को दिनांक 30.11.2011 को ₹100000 ऋण के रूप में प्रदान की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ड."** पर दिया गया है। यह राशि आई0टी0आई0 चौपाल के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रदान की गई थी, परन्तु उपरोक्त ऋण से दिनांक 31.3.2015 तक कोई भी राशि वापिस प्राप्त नहीं हुई थी। अतः लगभग चार वर्ष तक ₹100000 वापिस प्राप्त न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व आई0टी0आई0 चौपाल से इसकी शीघ्र प्राप्ति हेतु ठोस प्रयास किए जाएं, क्योंकि इस राशि पर लगातार ब्याज की हानि भी हो रही है, जोकि संस्थान की छात्र कल्याण निधि के हित में नहीं है।

12 छात्र कल्याण निधि में ₹8000 का अनियमित भुगतान करना

अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सैहब सोसाइटी (Shimla Environment[Heritage Conservation and Beautification Society) को डोर–टू–डोर गरबेज कलेक्शन योजना के अन्तर्गत ₹8000 का भुगतान किया गया,

जिसका विवरण नीचे दिया गया है, परन्तु "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" में इस प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान हीं है। अतः नियमों प्रावधानों के विपरीत उक्त सोसाइटी को भुगतान करना अनियमित है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" के नियम–31 के अन्तर्गत निदेशक (तकनीकी शिक्षा) की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	माह जिसका भुगतान किया गया	दिनांक	भुगतान की राशि (₹1000 प्रति माह की दर से)
1	9/12 व 10/12	26.11.12	2000
2	3/13 व 4/13	20.5.12	2000
3	3/14 व 4/14	2.6.14	2000
4	8/14 व 9/14	27.10.14	2000
		योग	₹8000

13 रेट कनन्ट्रैक्ट के आधार पर खेलकूद की मदों पर ₹5624 का व्यय करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ–22 पर संस्थान द्वारा निम्न वर्णित खेलकूद से सम्बन्धित मदों के क्रय हेतु मै. राजधानी स्पोर्ट्स, शिमला को उनके बिल संख्या 1675, दिनांक 4.3.2013 के एवज में ₹5624 का भुगतान किया गया। इन मदों को Rate Contract पर क्रय किया गया दर्शाया गया था, जिसकी उक्त संस्था द्वारा स्वयं मुद्रित प्रति अभिलेख में संलग्न की गई थी, जबकि नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन द्वारा हस्ताक्षरित Rate Contract की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे क्रय की गई मदों की दरों की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित Rate Contract की प्रति आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	मद का नाम	मात्रा (संख्या)	दर	राशि
1	वालीबॉल	4	700	2800
2	वालीबॉल	1	524	524
3	बैडमिंटन रैकेट्स	4	325	1300
4	बैडमिंटन शटल कॉक	50	20	1000
			योग	₹5624

14 पहचान पत्रों के क्रय पर व्यय गई ₹5250 के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ–21 पर संस्थान द्वारा छात्राओं के लिए 105 पहचानपत्रों के मुद्रण हेतु मै0 ज्ञान पुस्तक भण्डार, लोअर बाजार, शिमला को उनके बिल संख्या 509, दिनांक 30.4.2013 के एवज में ₹5250 का भुगतान किया गया। यह पहचान पत्र

किन–किन छात्राओं को वितरीत किए गए, इसके सम्बन्ध में कोई भी विवरणी अथवा अभिलेख तैयार नहीं किए गए। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

15 आईटीआई चिड़गांव से ₹4033 की वसूली न करना

आईटीआई मण्डी में दिनांक 14.5.2012 से 21.5.2012 के दौरान आयोजित "23वें हि0प्र0 स्टेट स्पोर्ट्स मीट (महिला)" प्रतियोगिता में जिला शिमला की 33 छात्राओं द्वारा भाग लेने हेतु श्री प्रवीण कुमार, इंस्ट्रक्टर/टीम मैनेजर को छात्र कल्याण निधि से दिनांक 14.5.2012 को अग्रिम ₹50000 का भुगतान रोकड़ वही के पृष्ठ 97 पर किया गया। इस अग्रिम राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कुल ₹44366 का व्यय हुआ तथा शेष (₹50000–₹44366=₹5634) को दिनांक 26.5.2012 को छात्र निधि में जमा किया गया। चूंकि शिमला जिला से कुल 33 छात्राओं में आईटीआई शिमला की 30 छात्राओं के अतिरिक्त आईटीआई चिड़गांव की 3 छात्राओं ने भी उक्त प्रतियोगिता में भाग लिया था, इस प्रकार आईटीआई चिड़गांव की 3 छात्राओं पर हुए व्यय की (3x1344.42=₹4033) की वसूली सम्बन्धित संस्था से की जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसकी वसूली नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की सम्बन्धित संस्थान से तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

16 अखबार के रजिस्टर का निर्माण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से विभिन्न अखबारों की खरीद की जा रही है, परन्तु इसके लिए दैनिक आधार पर "उपस्थिति रजिस्टर" का निर्माण नहीं किया गया था, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किसी अमुक माह में कितनी अखबारों की आपूर्ति हुई, ताकि तदानुसार अखबार के बिलों का उचित भुगतान किया जा सके। संस्थान द्वारा "न्यूज पेपर रजिस्टर" नाम से एक साधारण रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें आपूर्तिकर्ता से प्राप्त अखबार के बिलों की प्रविष्टियां ही दर्ज की गई थी, जिसको माह 3/2013 के बाद नहीं भरा गया है। अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि छात्र निधियों से क्रय की जा रही समस्त अखबारों के लिए दैनिक आधार पर अपेक्षित "उपस्थिति रजिस्टर" तैयार किया जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17 सरकारी शुल्कों की प्राप्ति बारे

(क) छात्राओं से सरकारी शुल्क के रूप में प्राप्तियों का सम्बन्धित कोषागार से मिलान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्राओं से प्राप्त किए जा रहे प्रवेश शुल्क इत्यादि को समय–समय पर कोषागार/बैंक में जमा करवाने के चालान अंकेक्षण में प्रस्तुत किए

गए, परन्तु जमा करवाई गई राशि का सम्बन्धित कोषागार से मासिक मिलान (Monthly Reconciliation) नहीं किया गया था, जिससे जमा करवाई गई राशि का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि सरकारी शुल्क/प्राप्तियों के रूप में जमा करवाई गई राशियों का कोषागार कार्यालय के साथ मासिक मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

(ख) छात्राओं से सरकारी शुल्क की प्राप्तियों का रजिस्टर तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से समय–समय पर प्रवेश शुल्क इत्यादि की प्राप्ति की गई थी, परन्तु इनसे सम्बन्धित कोई भी "संग्रह रजिस्टर" का निर्माण नहीं किया गया था। सरकारी रसीद टी0आर0–5 द्वारा प्राप्त राशि को सीधे कोष/बैंक में जमा करवाया जा रहा है, जबकि रसीदों का "संग्रह रजिस्टर" तैयार करके इसमें छात्रावार प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण दिया जाना भी अपेक्षित होता है, ताकि उपरोक्त शुल्कों का दिनांकवार/माहवार/वर्षवार एक स्थान पर अभिलेख प्राप्त हो सके। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार उक्त अभिलेख तैयार किए जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

19 **निष्कर्ष :–** लेखों एवं अभिलेख के रख–रखाव विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(i)–203/1992, खण्ड–2–1933–1934, दिनांक01.04.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1 प्रधानाचार्य, राजकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्रा) शिमला–5 जिला शिमला हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.